...हाजिर। श्रीमान एस.डी.एम. साहब पुकार/... अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक ...

वकील फरीकैन उप०। राजपैरोकार उप०। प्रार्थना-पत्र O6 R17 CPC बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना-पत्र O6 R17 स्वीकार किया जाता है। एवं वाद में संशोधन के आदेश दिए जाते है। वकील वादी संशोधन वाद-पत्र पेश करें। वकील वादी द्वारा 2-7-18 को संशोधन वाद-पत्र पेश किया जा चुका है। वकील वादी की हित-बुआ पर तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय दिनांक 17-7-18 को पेश हो।

वकील फरीकैन उप०। श्रीमान एस.डी.एम. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25-7-18 को पेश हो।

वकील फरीकैन हाजिर। तहसील से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10-11-17 पर फरीकैन बहस सुनी गयी। किसी ने कोई एतराज पेश नहीं किया। अतः वादी का वाद-पत्र तहसील विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाता है। निर्णय विस्तार से अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नियमानुसार कैजले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर